

कार्यालय: जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।


आदेश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर व अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्रांक 4259/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 27.08.2020 को श्री शीश अवतार सिंह, (अधिवक्ता) सिविल कोर्ट, अनूपशहर (बुलन्दशहर), जो न्यायालय परिसर सिविल कोर्ट, अनूपशहर (बुलन्दशहर) में कार्यरत है। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय परिसर का सैनेटाईजेशन करते हुए 24 घण्टे न्यायालय परिसर बंद करने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/सीपीसी/ईकोर्ट/इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में दिनांक 28.08.2020 को वाह्य स्थित न्यायालय, अनूपशहर (बुलन्दशहर) सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्द रहेगा तथा दिनांक 31.08.2020 को न्यायालय/कार्यालय यथावत खुलेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।


दिनांक-27.08.2020


27.8.2020
(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर (बुलन्दशहर)।
2. अध्यक्ष/सचिव सिविल बार एसोसिएशन, अनूपशहर (बुलन्दशहर)।
3. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

दिनांक-27.08.2020


27.8.2020
(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।